

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 47/2021

(Bank Case)

GCMS No. 2021/87

एच.डी.बी. फाईनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड पता- एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, 3, पार्क स्ट्रीट, अपोजिट पिंगसिटी पेट्रोल पम्प एम. आई. रोड, जयपुर (राज.) 302006 जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र सिंह।

- प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

बनाम

1. मैसर्स रिद्धि सिद्धि मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, जरिये प्रोपराईटर मोहित छोटवानी

पता:- 721, बसंत विहार, मेन रोड, कोटा (राज.) 324009 एवं मकान नं. 1/18, गणेश तलाब योजना तहसील- लाडपुरा कोटा (राज.)324005

- (ऋणी)

2. श्रीमती नीता छोटवानी पत्नी श्री पवन कुमार छोटवानी

पता:-1/18, गणेश तलाब, बसंत विहार, कोटा (राज.)-324009

3. श्री पवन छोटवानी पुत्र श्री नोतन दास,

पता:-1/18, गणेश तलाब, बसंत विहार, कोटा (राज.)-324009

4. श्री मोहित छोटवानी पुत्र श्री पवन छोटवानी

पता:-1/18, गणेश तलाब, बसंत विहार, कोटा (राज.)-324009

- सहऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्वूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्वूरीटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री एल.एस.राजपूत, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: ०६-०९-२०२१

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं एच.डी.बी. फाईनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड पता- एच.डी.एफ.सी.बैंक लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, 3, पार्क स्ट्रीट, अपोजिट पिंगसिटी पेट्रोल पम्प एम. आई. रोड, जयपुर (राज.) 302006 में स्थित है से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने दिनांक 31.01.2018 को अनुबंध संख्या 3555932 के जरिये राशि रुपये 62,20,000/- (अक्षरे: रुपये बासठ लाख, बीस हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी सं० 2 नीता कुमारी छोटवानी पत्नी श्री पवन कुमार छोटवानी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप में अचल सम्पत्ति मकान नं.- 1/18, गणेश तलाब योजना तहसील-लाडपुरा कोटा (राज.) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 972.55 वर्गफीट है, जिसकी चर्तुःसीमाएँ पूरब में-रोड, पश्चिम में- प्लॉट नं. 1/131, उत्तर में- प्लॉट नं. 1/17, दक्षिण में- प्लॉट नं. 1/19 स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक. 05.08.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 61,78,960.85/- (अक्षरे रुपये इकषठ लाख, अठत्तर हजार, नौ सौ साठ रुपये व पिच्चासी पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 23.09.2020 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को


जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

दिनांक 25.09.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र जनसत्ता में दिनांक 05.01.2021 को एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 05.01.2021 में प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 25.09.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र जनसत्ता में दिनांक 05.01.2021 को एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 05.01.2021 में प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 25.09.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र जनसत्ता में दिनांक 05.01.2021 को एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 05.01.2021 में प्रकाशन भी कराया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति मकान नं.- 1/18, गणेश तलाब योजना तहसील-लाडपुरा कोटा (राज.) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 972.55 वर्गफीट है, जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में-रोड, पश्चिम में- प्लॉट नं. 1/131, उत्तर में- प्लॉट नं. 1/17, दक्षिण में- प्लॉट नं. 1/19 स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक ०४-०९-2021 को सुनाया गया।


(उज्जवल राठी)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)